

## ::आदेशः::

मुख्य सचिव और अध्यक्ष उच्चाधिकार प्राप्त समिति यूएसडीएमए की अध्यक्षता में दिनांक 09.10.2019 को यूएसडीएमए के तहत यूडीआरपी परियोजनाओं के तहत प्रस्तावों के लिए देहसूदन के सचिवालय सीएस कॉन्फेंस हॉल में बैठक के सम्मन्ध में जारी कार्यवृत्त Ref :1000/URDP-AF/2019/Dehradun, Date:10.Oct,2019 उच्चाधिकार प्राप्त समिति के द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों के साथ विचार-विमर्श एवं बैठक के दौरान लिये गये निर्णय में से प्राप्त समिति के द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों के साथ विचार-विमर्श एवं बैठक के दौरान लिये गये निर्णय में से बैठक में बिन्दु संख्या-04 के सम्मन्ध में विश्व बैंक पोषित योजना, यूडीआरपी0(Additional Financing) के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के देवप्रयाग में अलकन्दा नदी में प्रस्तावित 84 मी0 स्पान का स्टील ट्रस पैदल सेतु का निर्माण कार्य प्रस्तावित किया गया। यह पुल आपदा में पुनः निर्माण कार्य हेतु बनाया जा रहा है। इस पुल के बनने से आम जनमानस के आवागमन की सुविधा होगी, जिससे आम जनमानस को शेजमर्सा के कार्यों आजीविका, पारिवारिक भरण पोषण हेतु राशन, कपड़े दवाइयां आदि की लाने ले जाने में सुविधा होगी।

इस सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता विश्व बैंक खण्ड, लो0नि0वि0 पौड़ी गढ़वाल द्वारा अपने पत्रांक-572/AF दिनांक 13.12.2019 के द्वारा उक्त प्रस्तावित कार्य हेतु ग्राम देवप्रयाग टाउन तहसील देवप्रयाग के खाता संख्या-11/9 खसरा संख्या 245 रक्बा 0.030 है0 उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 10 IV की रौली रौखड़, चट्टान आदि की भूमि का प्रस्ताव /संयुक्त निरीक्षण आख्या दिनांक 10.12.2019 सहित निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल को हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। प्रस्तावित भूमि का प्रस्ताव उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर के पत्र संख्या- 328/आर0ए0-(भू0ह0प्र0)-2019, दिनांक कीर्तिनगर दिसम्बर 18, 2019 के द्वारा निम्न प्रकार प्रस्तुत किया है:-

ग्राम	तहसील	खाता संख्या	खसरा संख्या	अर्जित रक्बा (हे0 मे)	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6
देवप्रयाग टाउन	देवप्रयाग	11/9	245	0.030 है0	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 10(IV) रौली रौखड़, चट्टान आदि की भूमि।
योग				0.030 है0	

अतएव शासनादेश संख्या: 111/XXVII (7) 50 (39)/ 2015 / 2014 दिनांक: 09.जुलाई, 2015 एवं शासनादेश संख्या: 1887/XVIII (II) / 2015 - 18 (169) 2015 दिनांक: 30.07.2015 एवं शासनादेश संख्या: 260/वित्त अनुभाग-3/2002 दिनांक: 15 फरवरी 2002 की शर्तों एवं प्राविधानों के तहत एवं उल्लिखित शासनादेशों के अधीन के व्यापक जनहित के दृष्टिगत जनपद पौड़ी गढ़वाल के देवप्रयाग में अलकन्दा नदी में प्रस्तावित 84 मी0 स्पान का स्टील ट्रस पैदल सेतु के निर्माण हेतु निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल के पक्ष में ग्राम देवप्रयाग टाउन, तहसील देवप्रयाग के खाता संख्या-11/9 खसरा संख्या 245 रक्बा 0.030 है0 (शून्य दशमलव शून्य तीन शून्य है0) उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 10 IV की रौली रौखड़, चट्टान आदि की भूमि निशुल्क हस्तान्तरित की जाती है:

- 1:- भूमि का हस्तान्तरण बिना मूल्य लिये किया जायेगा। वन मामलों में भूमि के नजराना मूल्य की सीमा पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
- 2:- जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरण की जा रही है, वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए आवश्यक प्राविधान किया जा चुका हो, तथा केवल उतनी ही भूमि का हस्तान्तरण किया जाये जितना कार्य विशेष के लिए आवश्यक हो।
- 3:- भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत नहीं होनी चाहिए।



(2)

- 4- हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से निम्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाय तो उसके मूल विभाग से भूमि आवेदन प्राप्त करना होगा और यदि भूमि ग्री आवाश्यकता न हो या तीन वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो उसे मूल विभाग (राजस्व विभाग) को वापस करना होगा।
  - 5- यह आदेश गा0 उत्तर न्यायालय / गा0 सच्यतम न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा तथा याचक विभाग को निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
  - 6- भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत नहीं होनी चाहिए।
  - 7- उत्तराखण्ड राज्य में स्थित सरकारी भूमि निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल को ग्राम देवप्रयाग, तहसील देवप्रयाग में जनपद पौड़ी गढ़वाल के देवप्रयाग में अलकन्दा नदी में प्रस्तावित 84 मी० स्पाण का स्टील ट्रस पैदल सेतु का निर्माण कार्य निर्माण हेतु निःशुल्क हस्तान्तरण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भूमि पर जिस राजकीय विभाग का स्वामित्व है, उसकी सहमति अनापत्ति लिखित रूप में प्राप्त कर ली जाये।
- कृपया उपर्युक्त शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

पंजिका सं०- ०९  
वर्ष २०१९-२०  
दिनांक ४/१२/२०  
चिल्ला सं० १०  
दिनांक १२/१२/२०

२१.१२  
(डा०वी०षप्रमुगम)  
जिला अधिकारी  
टिहरी गढ़वाल।  
०६

- कार्यालय जिला अधिकारी, जिला टिहरी गढ़वाल।  
संख्या- २४१ / XI-100(2019-2020) दिनांक नई टिहरी दिसम्बर २३, २०१९  
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 1- सचिव आपदा प्रबन्धन, कार्यक्रम निदेशक यू०डी०आर०पी० एवं यू०ई०ए०पी० देहरादून।
  - 2- आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
  - 3- सचिव राजस्व, अनुभाग-२ उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
  - 4- प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनिकीरेती।
  - 5- उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर।
  - 6- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।
  - 7- तहसीलदार देवप्रयाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि राजस्व अभिलेखों में याचक विभाग के नाम अमलदरामद कर प्रश्नगत भूमि का सीमांकनोपरान्त कब्जा हस्तगत करें।

२१.१२  
जिला अधिकारी  
टिहरी गढ़वाल।  
०६